न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 7/2020
3. उनवान : सरकार जरिये महेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह ग्राम व पंचायत बनेठी, तहसील कोटपूतली, जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 08-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री मदन लाल कुडी अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक कोटपूतली श्री महेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, मौका नजरी–नक्शा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि मुखबिर की गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी की सूचना पर अप्रार्थी राजपाल सिंह के घर पर दिनांक 19.09.2012 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 9 सीलशुदा घरेलू सिलेण्डर (एचपीसीएल) को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 07.11.2012 को अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 26.09.2012 को सरपंच ग्राम पंचायत बनेठी, पं.स. कोटपूतली द्वारा प्रार्थना पत्र जो कि जब्त सिलेण्डरों के उपभोक्ताओं एवं ग्रामीणों के हस्ताक्षरित है, पेश कर निवेदन किया कि मीणा गैस एजेन्सी द्वारा कुछ समय से गांव में सिलेण्डरों की आपूर्ति नहीं होने के कारण राजपाल सिंह एवं अन्य कुछ व्यक्ति गैस एजेन्सी व ग्रामीणों के कहने पर मीणा गैस एजेन्सी से सिलेण्डर भरवाकर लाये थे। कुछ उपभोक्ता समयाभाव के कारण उस दिन अपने सिलेण्डर नहीं ले जा सके थे। राजपाल सिंह किसी भी प्रकार से गैस सिलेण्डरों के अवैध कारोबार से नहीं जुडे हुए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं के शपथ पत्र व गैस कनेक्शन की प्रति भी पेश की। जिस पर बहस हेतु तारीख नियत की गई। उक्त तारीख पेशी पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने का कथन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 08.07.22 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 19.09.2012 को जब्त सीलशुदा सिलेण्डरों के संबंध में अप्रार्थी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

द्वारा कतिपय व्यक्तियों के स्वामित्व बाबत शपथ पत्र व रसीद आदि संलग्न किए गये हैं किन्तु उन व्यक्तियों के सिलेण्डर अप्रार्थी को देने बाबत मीणा गैस एजेन्सी, कोटपूतली का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिसके अभाव में जब्त सिलेण्डरों के परिवहन, संधारण आदि बाबत वैधता पुष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 9 सीलशुदा घरेलू सिलेण्डर (एचपीसीएल) शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक [illegible])
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर